09.02.18	वकील प्रार्थी उप. । अप्रार्थी की ओर से श्री राजेश मित्तल एड. उप. आये। बदल प्रा.पत्र वापसी सुनी गई। प्रा.पत्र वापसी स्वीकार किया जाता है। प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 21 मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम पुनः नम्बर पर लिया जाता है। प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।	

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर